

जैव उर्वरक विनिर्माण पंजीकरण प्रमाण पत्र

(जाँच-पत्र)

- i) प्रपत्र-D दो प्रतियाँ।
- ii) आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का : (क) प्राधिकार पत्र (ख) स्व-अभिप्रमाणित तीन फोटो।
- iii) पंजीयन शुल्क : रू० 1000/- का कोषागार चालान की मूल प्रति।
- iv) शपथ पत्र जिसमें उल्लेख हो कि :
 - (क) विगत तीन साल में उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडित नहीं हुआ हो।
 - (ख) पूर्व का पंजीयन प्रमाण-पत्र निलम्बित नहीं हो।
 - (ग) नये आवेदन करने के एक वर्ष पूर्व तक किसी भी राज्य में कोई उर्वरक पंजीयन प्रमाण-पत्र रद्द नहीं हुआ हो।
- v) यदि विनिर्माता कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित है तो मेमोरेण्डम औफ एषोसियेशन की प्रति।
- vi) जैव अथवा कार्बनिक उर्वरक का वार्षिक उत्पादन क्षमता 3000 मे० टन या उससे अधिक होना चाहिए।
- vii) विनिर्माता एवं पूल-हैंडलिंग एजेन्सियों द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा-24 के तहत नियुक्ति पत्र।
- viii) प्रतिष्ठान द्वारा नियुक्त रसायनज्ञ का योग्यता कृषि स्नातक अथवा रसायन स्नातक है या नहीं।
- ix) नियुक्ति पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।

कार्बनिक उर्वरक (वर्मीकम्पोस्ट) के विनिर्माण पंजीकरण प्रमाण पत्र

(जाँच-पत्र)

1. प्रपत्र-D दो प्रतियाँ।
2. आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का :
 - (क) प्राधिकार पत्र –
 - (ख) स्व-अभिप्रमाणित तीन फोटो-
3. पंजीयन शुल्क : रू० 1000/- का कोषागार चालान की मूल प्रति।
4. शपथ पत्र जिसमें उल्लेख हो कि :
 - (क) विगत तीन साल में उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडित नहीं हुआ हो।
 - (ख) पूर्व का पंजीयन प्रमाण-पत्र निलम्बित नहीं हो।
 - (ग) नये आवेदन करने के एक वर्ष पूर्व तक किसी भी राज्य में कोई उर्वरक पंजीयन प्रमाण-पत्र रद्द नहीं हुआ हो।
5. यदि विनिर्माता कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित है तो मेमोरेण्डम ऑफ एषोसियेशन की प्रति।
6. जैव अथवा कार्बनिक उर्वरक का वार्षिक उत्पादन क्षमता 3000 मे० टन या उससे अधिक होना चाहिए।
7. विनिर्माता एवं पूल-हैंडलिंग एजेन्सियों द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा-24 के तहत नियुक्ति पत्र।
8. भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र।

राज्य स्तरीय थोक उर्वरक विक्रेता हेतु प्राधिकार पत्र

(जाँच-पत्र)

- i) प्रपत्र—A₁ दो प्रतियाँ।
- ii) आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का : (क) प्राधिकार पत्र (ख) स्व-अभिप्रमाणित तीन फोटो।
- iii) पंजीयन शुल्क : रू० 2250/- का कोषागार चालान की मूल प्रति।
- iv) स्रोत : प्रपत्र "ओ" की मूल प्रति।
- v) प्रपत्र—"ओ" निर्गत करने वाले निर्माता/आपूर्तिकर्ता के प्राधिकार पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
- vi) शपथ पत्र जिसमें उल्लेख हो कि :
(क) विगत तीन साल में उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडित नहीं हुआ हो। (ख) पूर्व का पंजीयन प्रमाण-पत्र निलम्बित नहीं हो। (ग) नये आवेदन करने के एक वर्ष पूर्व तक किसी भी राज्य में कोई उर्वरक पंजीयन प्रमाण-पत्र रद्द नहीं हुआ हो।
- vii) स्थानीय वाणिज्य-कर अंचल कार्यालय से निर्गत वाणिज्य-कर शोधन/अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- viii) निर्माता कम्पनियों के विनिर्माण/उद्योग का पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
- ix) यदि विनिर्माता कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित है तो मेमोरेण्डम औफ एषोसियेशन की प्रति।
- x) विनिर्माण वाले स्थल के राज्य सरकार द्वारा निर्गत उर्वरक विपणन प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
- xi) विनिर्माता एवं पूल-हैंडलिंग एजेन्सियों द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा-24 के तहत नियुक्ति पत्र।
- xii) जिला कृषि पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन।
- xiii) कार्यालय/गोदाम के स्थान के लिए लीज/एकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति।
- xiv) यदि आयातक है तो : (क) आयातक प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति। (ख) निर्यातक के द्वारा आपूर्ति आदेश की अभिप्रमाणित प्रति। (ग) आयातित उर्वरक का विश्लेषण प्रतिवेदन।

राज्य स्तरीय थोक / जैव उर्वरक विक्रेता हेतु प्राधिकार पत्र

(जाँच-पत्र)

- i) प्रपत्र-A₁ दो प्रतियाँ।
- ii) आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का : (क) प्राधिकार पत्र (ख) स्व-अभिप्रमाणित तीन फोटो।
- iii) पंजीयन शुल्क : रू० 2250/- का कोषागार चालान की मूल प्रति।
- iv). स्रोत : प्रपत्र "ओ" की मूल प्रति।
- v). प्रपत्र-"ओ" निर्गत करने वाले निर्माता/आपूर्तिकर्ता के प्राधिकार पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
- vi). शपथ पत्र जिसमें उल्लेख हो कि :
(क) विगत तीन साल में उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडित नहीं हुआ हो। (ख) पूर्व का पंजीयन प्रमाण-पत्र निलम्बित नहीं हो। (ग) नये आवेदन करने के एक वर्ष पूर्व तक किसी भी राज्य में कोई उर्वरक पंजीयन प्रमाण-पत्र रद्द नहीं हुआ हो।
- vii). निर्माता कम्पनियों के विनिर्माण/उद्योग का पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
- viii). यदि विनिर्माता कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित है तो मेमोरेण्डम औफ एषोसियेशन की प्रति।
- ix) विनिर्माण वाले स्थल के राज्य सरकार द्वारा निर्गत उर्वरक विपणन प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
- x. विनिर्माता एवं पूल-हैंडलिंग एजेन्सियों द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा-24 के तहत नियुक्ति पत्र।
- xi). जिला कृषि पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन।
- xii). कार्यालय/गोदाम के स्थान के लिए लीज/एकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति।

3. जैव/कार्बनिक उर्वरक विनिर्माण पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निम्न कागजातों को कृषि निदेशक, बिहार के यहाँ समर्पित करना होगा :-

1. प्रपत्र—D दो प्रतियाँ —
2. आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का :
 - (क) प्राधिकार पत्र —
 - (ख) स्व अभिप्रमाणित तीन फोटो —
3. पंजीयन शुल्क : रू० 1000/- का कोषागार चालान की मूल प्रति —
4. शपथ पत्र जिसमें उल्लेख हो कि :
 - (क) विगत तीन साल में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडित नहीं हुआ हो। (ख) पूर्व का पंजीयन प्रमाण पत्र निलम्बित नहीं हो। (ग) नये आवेदन करने के एक वर्ष पूर्व तक किसी भी राज्य में कोई उर्वरक पंजीयन प्रमाण पत्र रद्द नहीं हुआ हो।
5. यदि विनिर्माता कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित है तो मेमोरेण्डम ऑफ एशोसियेशन की प्रति अथवा प्रोपराईटरशिप डीड।
6. जैव/कार्बनिक उर्वरक का वार्षिक उत्पादन क्षमता 3000 मे० टन से अधिक होने सम्बन्धी प्रतिवेदन।
7. उद्योग पंजीकरण प्रमाण पत्र।
8. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा-24 के तहत उत्तरदायी व्यक्ति का नियुक्ति पत्र।
9. जिला कृषि पदाधिकारी का स्थल जाँच प्रतिवेदन।

प्राधिकार पत्र का नवीकरण

(जाँच-पत्र)

- i) प्रपत्र-A₁ दो प्रतियाँ।
- ii) आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का : (क) प्राधिकार पत्र (ख) स्व-अभिप्रमाणित तीन फोटो।
- iii) पंजीयन शुल्क : रू० 2250/- का कोषागार चालान की मूल प्रति।
- iv) स्रोत : प्रपत्र "ओ" की मूल प्रति।
- v) प्रपत्र-"ओ" निर्गत करने वाले निर्माता/आपूर्तिकर्ता के प्राधिकार पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
- vi) शपथ पत्र जिसमें उल्लेख हो कि :
(क) विगत तीन साल में उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडित नहीं हुआ हो। (ख) पूर्व का पंजीयन प्रमाण-पत्र निलम्बित नहीं हो। (ग) नये आवेदन करने के एक वर्ष पूर्व तक किसी भी राज्य में कोई उर्वरक पंजीयन प्रमाण-पत्र रद्द नहीं हुआ हो।
- vii) स्थानीय वाणिज्य-कर अंचल कार्यालय से निर्गत वाणिज्य-कर शोधन/अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- viii) निर्माता कम्पनियों के विनिर्माण/उद्योग का पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
- ix) यदि विनिर्माता कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित है तो मेमोरेण्डम औफ एशोसियेशन की प्रति।
- x) विनिर्माण वाले स्थल के राज्य सरकार द्वारा निर्गत उर्वरक विपणन प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
- xi) विनिर्माता एवं पूल-हैंडलिंग एजेन्सियों द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा-24 के तहत नियुक्त पत्र।
- xii) जिला कृषि पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन।
- xiii) कार्यालय/गोदाम के स्थान के लिए लीज/एकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति।
- xiv) यदि आयातक है तो : (क) आयातक प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति। (ख) निर्यातक के द्वारा आपूर्ति आदेश की अभिप्रमाणित प्रति। (ग) आयातित उर्वरक का विश्लेषण प्रतिवेदन।
- xv) प्रतिष्ठान द्वारा अंतिम एक वर्ष में किये गये उर्वरक व्यापार का ब्यौरा। बिक्री पंजी की जि०कृ०पदा० से अभिप्रमाणित छायाप्रति)।
- xvi) यदि विलंब से समर्पित हो तो विलंब शुल्क के चालान की मूल प्रति।
- xvii) विगत वर्ष भुगतान किया गया बिक्री कर / VAT की रसीद की अभिप्रमाणित प्रति।

राज्य स्तरीय थोक विक्रेता हेतु प्राधिकार पत्र का संशोधन

(जाँच-पत्र)

1. संशोधन हेतु आवेदन-पत्र।
2. संशोधन शुल्क-रु० 150/-का कोषागार चालान की मूल प्रति।
3. मूल प्राधिकार पत्र।
4. **संशोधन का प्रकार :-**
 - i). गोदाम प्रविष्टि हेतु :- गोदाम का पुरा पता (ख) लीज एग्रीमेन्ट
 - ii). अन्य निर्माता/थोक विक्रेता के उर्वरकों के विपणन की प्रविष्टि :-
 - (क) स्रोत-प्रपत्र "ओ" की मूल प्रति एवं निर्माता/आपूर्तिकर्ता के प्राधिकार पत्र की अभिप्रमाणित प्रति। (ख) उर्वरक का गुणवत्ता विश्लेषण प्रतिवेदन।
 - iii). नाम परिवर्तन :- कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा निर्गत पत्र की प्रतिलिपि।
 - iv). कार्यालय/बिक्री केन्द्र का परिवर्तन :- (क) लीज/एकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति। (ख) जिला कृषि पदाधिकारी का स्थल जाँच प्रतिवेदन।

एन०पी०के०/सुक्ष्म पोषक तत्व विनिर्माता पंजीकरण

प्रस्तुत संचिका में को
..... को बिहार राज्य में बिक्री हेतु राज्य स्तरीय थोक विक्रेता के रूप में प्राधिकार पत्र निर्गत करने पर विचार किया जा रहा है।

2. निदेशालय के द्वारा तैयार चेक लिस्ट के अनुसार निम्न कागजात प्राप्त है :-

(जाँच-पत्र)

- i) प्रपत्र- D दो प्रतियाँ।
- ii) आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का : (क) प्राधिकार पत्र (ख) स्व-अभिप्रमाणित तीन फोटो
- iii) पंजीयन शुल्क रू० 1000/- का कोषागार चालान की मूल प्रति।
- iv) शपथ पत्र जिसमें उल्लेख हो कि :
(क) विगत तीन साल में उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडित नहीं हुआ हो।
(ख) पूर्व का पंजीयन प्रमाण-पत्र निलम्बित नहीं हो।
(ग) नये आवेदन करने के एक वर्ष पूर्व तक किसी भी राज्य में कोई उर्वरक पंजीयन प्रमाण-पत्र रद्द नहीं हुआ हो।
(घ) जिन जिलों में आवेदक द्वारा व्यापार किया जायेगा उन जिलों में प्रतिष्ठान का गोदाम आवश्यक होगा।
- v) स्थानीय वाणिज्य-कर अंचल कार्यालय से निर्गत वाणिज्य-कर शोधन/अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- vi) निर्माता कम्पनियों के विनिर्माण/उद्योग का पंजीयन प्रमाण-पत्र।
- vii) यदि विनिर्माता कम्पनी एक्ट के तहत निर्बंधित है तो मेमोरेण्डम औफ एशोसियेशन की प्रति।
- viii) FCO-1985 की धारा-21-ए में निर्धारित मापदंडों के अनुरूप न्यूनतम प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध रहने का शपथ-पत्र।
- ix) क्रय किये गये उपकरणों के विपत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
- x) प्रतिष्ठान द्वारा नियुक्त रसायनज्ञ का योग्यता प्रमाण पत्र।
- xi) नियुक्ति पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
- xii) कच्चा माल के प्राप्ति के स्रोत का विवरण एवं समझौता पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
- xiii) पर्यावरण विभाग से निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।

एन०पी०के०/सुक्ष्म पोषक तत्व विनिर्माता पंजीकरण प्रमाण पत्र

(जाँच-पत्र)

1. प्रपत्र- D दो प्रतियाँ।
2. आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का : (क) प्राधिकार पत्र (ख) स्व-अभिप्रमाणित तीन फोटो
3. पंजीयन शुल्क रू० 1000/- का कोषागार चालान की मूल प्रति।
4. शपथ पत्र जिसमें उल्लेख हो कि :-
(क) विगत तीन साल में उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडित नहीं हुआ हो।
(ख) पूर्व का पंजीयन प्रमाण-पत्र निलम्बित नहीं हो।
(ग) नये आवेदन करने के एक वर्ष पूर्व तक किसी भी राज्य में कोई उर्वरक पंजीयन प्रमाण-पत्र रद्द नहीं हुआ हो।
5. निर्माता कम्पनियों के विनिर्माण/उद्योग का पंजीयन प्रमाण-पत्र।
6. यदि विनिर्माता कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित है तो मेमोरेण्डम औफ एशोसियेशन की प्रति।
7. FCO-1985 की धारा-21-ए में निर्धारित मापदंडों के अनुरूप न्यूनतम प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध रहने का शपथ-पत्र।
8. प्रतिष्ठान द्वारा नियुक्त रसायनज्ञ का योग्यता प्रमाण पत्र।
9. रसायनज्ञ के नियुक्ति पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
10. विनिर्माता एवं पूल-हैंडलिंग एजेन्सियों द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा-24 के तहत नियुक्ति पत्र।
11. पर्यावरण विभाग से निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
12. जिला कृषि पदाधिकारी का स्थल जाँच प्रतिवेदन।
13. उर्वरक पैकेट पर अंकित सूचनाओं को दर्शाता 18"×4" साईज का फोटो-

एन०पी०के०/सुक्ष्म पोषक तत्व विनिर्माता पंजीकरण का नवीकरण

(जाँच-पत्र)

- i) प्रपत्र- D दो प्रतियाँ।
- ii) आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का : (क) प्राधिकार पत्र (ख) स्व-अभिप्रमाणित तीन फोटो
- iii) पंजीयन शुल्क रू० 1000/- का कोषागार चालान की मूल प्रति।
- iv) शपथ पत्र जिसमें उल्लेख हो कि :
 - (क) विगत तीन साल में उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडित नहीं हुआ हो।
 - (ख) पूर्व का पंजीयन प्रमाण-पत्र निलम्बित नहीं हो।
 - (ग) नये आवेदन करने के एक वर्ष पूर्व तक किसी भी राज्य में कोई उर्वरक पंजीयन प्रमाण-पत्र रद्द नहीं हुआ हो।
 - (घ) जिन जिलों में आवेदक द्वारा व्यापार किया जायेगा उन जिलों में प्रतिष्ठान का गोदाम आवश्यक होगा।
- v) स्थानीय वाणिज्य-कर अंचल कार्यालय से निर्गत वाणिज्य-कर शोधन/अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- vi) निर्माता कम्पनियों के विनिर्माण/उद्योग का पंजीयन प्रमाण-पत्र।
- vii) यदि विनिर्माता कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित है तो मेमोरेण्डम औफ एशोसियेशन की प्रति।
- viii) FCO-1985 की धारा-21-ए में निर्धारित मापदंडों के अनुरूप न्यूनतम प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध रहने का शपथ-पत्र।
- ix) क्रय किये गये उपकरणों के विपत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
- x) प्रतिष्ठान द्वारा नियुक्त रसायनज्ञ का योग्यता प्रमाण पत्र।
- xi) नियुक्ति पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
- xii) कच्चा माल के प्राप्ति के स्रोत का विवरण एवं समझौता पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
- xiii) पर्यावरण विभाग से निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
- xiv) उर्वरक पैकेट पर अंकित सूचनाओं को दर्शाता 18"x4" साईज का फोटो।
- xv) रसायनज्ञ को वेतन भुगतान रजिस्टर की अभिप्रमाणित प्रति।
- xvi) विगत वर्ष के व्यापार का ब्यौरा:-(Sale Register की जि०कृ०पदा० से अभिप्रमाणित प्रति)
- xvii) विगत वर्ष भुगतान किया गया बिक्री कर / VAT की रसीद की अभिप्रमाणित प्रति।
- xviii) जिला कृषि पदाधिकारी का स्थल जाँच प्रतिवेदन।

जिलों से उर्वरक अनुदान दावा सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार को प्रपत्रा-‘बी’ का प्रेषण।

- i) उर्वरक निर्यातक/आयातक का नाम :-
- ii) पता :-
- iii) उर्वरक विपणन प्रमाण पत्र सं० :-
- iv) बिक्री कर निबंधन संख्या :-
- v) बिक्री कर भुगतान की रसीद संख्या एवं तिथि :-
- vi) संबंधित माह का प्रपत्र ‘ए’ :-
- vii) रेलवे रसीद की संख्या एवं तिथि :-
- viii) थोक उर्वरक विक्रेताओं से हस्ताक्षर प्राप्त विजकों एवं चलानों की संख्या तथा निर्गत की तिथि :-
- ix) उर्वरक के आवागमन में प्रयुक्त वाहनों की सूची मात्रा के साथ :-
- x) थोक उर्वरक विक्रेताओं से प्राप्त मासिक प्रतिवेदन, विजको की संख्या तथा तिथि
- xi) पूर्व माह के अवशेष भंडार अंकित रहने की स्थिति :-
- xii) आवक उर्वरकों का भौतिक सत्यापन करने वाले तथा गुणवत्ता जाँच हेतु नमूना संग्रह करने वाले पदा० का नाम एवं पदनाम :-
- xiii) गुणवत्ता जाँच हेतु प्राप्त उर्वरक नमूनों की संख्या :-
- xiv) सं०कृ०नि० से प्राप्त रैंडम जाँच प्रतिवेदन :-

राज्य स्तरीय थोक जैव उर्वरक विक्रेता हेतु प्राधिकार पत्र

(जाँच-पत्र)

- i) प्रपत्र-A₁ दो प्रतियाँ।
- ii) आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का : (क) प्राधिकार पत्र (ख) स्व-अभिप्रमाणित तीन फोटो।
- iii) पंजीयन शुल्क : रू० 2250/- का कोषागार चालान की मूल प्रति।
- iv) स्रोत : प्रपत्र "ओ" की मूल प्रति।
- v) प्रपत्र-"ओ" निर्गत करने वाले निर्माता/आपूर्तिकर्ता के प्राधिकार पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
- vi) शपथ पत्र जिसमें उल्लेख हो कि :
 - (क) विगत तीन साल में उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडित नहीं हुआ हो। (ख) पूर्व का पंजीयन प्रमाण-पत्र निलम्बित नहीं हो। (ग) नये आवेदन करने के एक वर्ष पूर्व तक किसी भी राज्य में कोई उर्वरक पंजीयन प्रमाण-पत्र रद्द नहीं हुआ हो।
- vii) निर्माता कम्पनियों के विनिर्माण/उद्योग का पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
- viii) यदि विनिर्माता कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित है तो मेमोरेण्डम औफ एषोसियेशन की प्रति।
- ix) विनिर्माण वाले स्थल के राज्य सरकार द्वारा निर्गत उर्वरक विपणन प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
- x) विनिर्माता एवं पूल-हैंडलिंग एजेन्सियों द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा-24 के तहत नियुक्ति पत्र।
- xi) जिला कृषि पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन।
- xii) कार्यालय/गोदाम के स्थान के लिए लीज/एकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति।

3. जैव/कार्बनिक उर्वरक विनिर्माण पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निम्न कागजातों को कृषि निदेशक, बिहार के यहाँ समर्पित करना होगा :-

1. प्रपत्र-A1 दो प्रतियाँ -
2. आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का :
 - (क) प्राधिकार पत्र एवं प्राधिकृत व्यक्ति का फोटो-
 - (ख) स्व अभिप्रमाणित तीन फोटो -
3. पंजीयन शुल्क : रू० 2250/- का कोषागार चालान की मूल प्रति -

मुख्य शीर्ष	0401-फसल कृषि कर्म
उप मुख्य शीर्ष00	
लघुशीर्ष	800- अन्य प्राप्तियां
उपशीर्ष	0001- अन्य मदें
विपत्र कोड	R0401008000001

4. शपथ पत्र जिसमें उल्लेख हो कि :
 - (क) विगत तीन साल में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडित नहीं हुआ हो। (ख) पूर्व का पंजीयन प्रमाण पत्र निलम्बित नहीं हो। (ग) नये आवेदन करने के एक वर्ष पूर्व तक किसी भी राज्य में कोई उर्वरक पंजीयन प्रमाण पत्र रद्द नहीं हुआ हो।
5. यदि विनिर्माता कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित है तो मेमोरेण्डम ऑफ एशोसियेशन की प्रति अथवा प्रोपराईटरशिप डीड।
6. उद्योग पंजीकरण प्रमाण पत्र।
7. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा-24 के तहत उत्तरदायी व्यक्ति का नियुक्ति पत्र।
8. जिला कृषि पदाधिकारी का स्थल जाँच प्रतिवेदन।

राशि जमा करने हेतु:—

मुख्य शीर्ष कर्म	0401—फसल	कृषि
उप मुख्य शीर्ष	00	
लघुशीर्ष	800—	अन्य प्राप्तियां
उपशीर्ष	0001—	अन्य मदें
विपत्र कोड	R0401008000001	